दिनांक 29.10.2016

बत्तीसा नाला परियोजना, देलदर (सिरोही) पर संक्षिप्त टिप्पणी

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2016–17 में सिरोही जिले के पेयजल समस्या समाधान हेतु बत्तीसा नाला पर बांध बनाकर पेयजल उपलब्ध करानें की घोषणा की गई हैं। बत्तीसा नाला बांध ग्राम –देलदर, तहसील–आबूरोड के समीप बत्तीसा नाला पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित बांध की कुल भराव क्षमता 577.40 Mcft तथा उपयोगी भराव क्षमता 500.40 Mcft हैं। बांध में उपलब्ध पानी में से 269.80 Mcft जल का उपयोग सिरोही जिलें में पेयजल सुविधा तथा शेष पानी से ग्राम देलदर, भारजा इत्यादि गांवों की 900 हैक्टर क्षैत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं। पेयजल हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षित पानी का समानुपातिक हिस्सा राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दी जानी हैं।

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.07.2016 को राशि रू. 228.05 करोड की वन विभाग से अनापत्ति, आई.डी.आर. से ड्राईंग एवं डिजाईन का अनुमोदन, सक्षम अधिकारी से लाभ लागत गणना का अनुमोदन एवं कार्य प्रारम्भ होने पर बजट की उपलब्धता होने की शर्त पर जारी गई हैं।

राज्य सरकार के " आपका जिला, आपकी सरकार" कार्यक्रम दिनांक 28.07.2016 से 30.07.2016 के दौरान दिनांक 29.07.2016 को जिला मुख्यालय, सिरोही पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बत्तीसा नाला सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया हैं।

बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना के निर्माण में डूब क्षैत्र, डेम लाईन एवं विस्थापित होने वाली सडक में 158.02 हैक्टर भूमि प्रभावित होती हैं जिसमें से 91.202 हैक्टर भूमि वन विभाग के आधिपत्य की भूमि है तथा शेष 66.818 हैक्ट. भूमि निजी खातेदारी, आबादी एवं सरकारी बिलानाम भूमि हैं।

परियोजना से प्रभावित वन भूमि के अवानीकीकरण की अनापत्ति हेतु प्रस्ताव दिनांक 23.08.2016 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेब पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा चुका हैं। प्रस्ताव हेतु ऑनलाईन क्रमांक/PP/ RJ/ Water/20791/2016 आवंटित किया गया हैं। प्रकरण के संबंध मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा जांच उपरान्त दिनांक 28.08.2016 को आक्षेप प्राप्त हुये हैं जिसमें मुख्यतः वन भूमि के समतुल्य भूमि आवंटन का विवरण चाहा गया हैं। परियोजना से प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि आवंटन हेतु माऊन्ट आबू क्षैत्र में भूमि आवंटन का प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 27.09.2016 को श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप–3, राजस्थान, जयपुर को भिजवाया गया हैं। प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 06.10.2016 को जारी किया जा चुका हैं। आवंटित की जाने वाली भूमि का संयुक्त मौका निरीक्षण वन एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा चुका हैं तथा भूमि अतिक्रमण मुक्त पायी गई हैं। दिनांक 18.10.2016 को श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षतामें आयोजित विडियों कॉनफ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार पूर्व में प्रस्तुत समतुल्य गैर वन भूमि में से गै.मु. तालाब, वेरा, पाल किस्म की 10.09 बीघा भूमि को हटाते हुए उसके स्थान पर 10.07 बीघा भूमि का चयन कर संशोधित प्रस्ताव 19.10.2016 को प्रस्तुत कर दिये गये है। तथा आवंटित की जाने वाली 91.99 भूमि का डी. जी. पी. एस. सर्वे एवं कॉर्डिनेट कलेक्शन का कार्य दिनांक 22.10.2016 को कर लिया गया है। नक्शों का डिजिटिलाईजेशन करवाया जाकर Shape file, DGP$ Map, KML file तैयार करवाये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा इस के पश्चात् वन भूमि के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र में प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति दिनांक 29.10.2016 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

परियोजना से प्रभावित निजी भूमि को अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् भूमि अवाप्ति की धारा–4 एवं धारा–7 के प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2016 द्वारा जारी हो चुके हैं। परियोजना के सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु धारा 5 व 6 की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है व धारा–7 की कार्यवाही 4.11.2016 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

बांध निर्माण स्थल के Geological investigation के लिये जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (GSI) से दिनांक 28.10.2016 को करार (MOU) कर दिया गया है तथा सेम्पलिंग के कार्य की निविदा जारी कर दी गई है। जी. एस. आई. से भूगर्भीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर बांध निर्माण की तकनिकी ड्राइंग व डिजाईन को अंतिम रूप देते हुए इसका अनुमोदन विभागीय सक्षम इकाई ID&R से करवाने के पश्चात तखमीना स्वीकृति प्राप्त होने पर Competitive Bid के माध्यम से आगामी कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

वन विभाग को एन.पी.वी. व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय राशि व भूमि के सीमांकन हेतु पिलर निर्माण कार्य हेतु आवश्यक लगभग 11.50 करोड़ राशि हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उनके द्वारा देय हिस्सा राशि 108.20 करोड़ में से विभाग को हस्तांतरित करने हेतु लगातार निवेदन किया जा रहा है।

वन विभाग से अनापत्ति व निजी भूमि की अवाप्ति के पश्चात मुख्य बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, सिरोही